

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3018]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 3018]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4124(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 562(अ), तारीख 22 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 22 मार्च, 2012 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:—

- (1) तालुक “जरिडिह” के सामने, कॉलम संख्या (7) में, दर्शाए गांव “नरकारा” को तालुक “चास” के सामने दर्शाया जाए और उसे क्रम संख्या 18 दी जाए । तालुक “जरिडिह” के सामने, कॉलम संख्या (7) में, क्रम संख्या 2 से 9 तक के अन्य गांवों को क्रम संख्या 1 से 8 तक पुनः संख्यांकित किया जाए ;
- (2) तालुक “पेटरवार” के सामने, कॉलम संख्या (7) में, दर्शाए गांव “दांतु” को तालुक “कसमार” के सामने दर्शाया जाए और उसे क्रम संख्या 4 दी जाए । तालुक “पेटरवार” के सामने, कॉलम संख्या (7) में, क्रम संख्या 2 से 10 तक के अन्य गांवों को क्रम संख्या 1 से 9 तक पुनः संख्यांकित किया जाए ;

[फा. सं. 11015/5/पीडी/डीएचएन/एलए/रास-23/1509, तारीख 19.9.2016]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना का.आ. 562(अ), तारीख 22 मार्च, 2012, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, तारीख 22 मार्च, 2012 को प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2016

S.O. 4124(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number, S.O. 562(E), dated the 22 March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 22 March, 2012 namely :-

In the schedule to the aforesaid notification :

Against serial no. 1, relating to District Bokaro

- (1) The Village Narkara Shown in Col. No. 7 against taluk Jaridih may be shown against taluk Chas & numbered at Sl. No. 18. The other villages against taluk Jaridih in Col. No. 7 be re-numbered from 2 to 9 as 1 to 8.
- (2) The Village Dantu shown in Col. No. 7 against taluk Petarbar be shown against taluk Kasmar & numbered at Sl. No. 4. The other villages against taluk Petarbar in Col. No. 7 be re-numbered from 2 to 10 as 01 to 9.

[F. No. 11015/5/PD/DHN/LA/NH-23/1509 dated 19.09.2016.]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot note: The Principal notification was published vide S.O. No. 562(E) dt. 22nd March, 2012 in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 22nd March, 2012.

Nishok
Kumar Paria

Digitally signed by
Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.23
17:50:12 +05'30'